

## कार्यालय आदेश

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समिति की आज दिनांक 01.05.2017 को प्राधिकरण की समस्त योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 का भूमि/योजना दर के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में अपर सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुयी जिसमें मुख्य अभियन्ता मु0ले0 अधिकारी, संयुक्त सचिव, अधीक्षण अभियन्ता, नगर नियोजक, समस्त जोन प्रभारी/अधिशासी अभियन्ता उपस्थित हुए। बैठक में योजना दर, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर भी प्रस्तुत किया गया। सभी आवश्यक तथ्यों एवं सम्पत्ति के निस्तारण को ध्यान में रखते हुए भूमि दर/योजना दर वृद्धि पर विचार विमर्श किया गया है। जिस पर सभी सदस्यों के द्वारा मूल्य सूचकांक बाजार दर एवं जिला सर्किल दर के आधार पर निर्धारित हो रहे रेट के अनुसार योजनाओं की दर में वृद्धि किये जाने पर सहमति हुई। प्रतिवर्ष के इन्डैक्स दर की वृद्धि को देखते हुए लगभग 15 व 16 प्रतिशत वृद्धि पर सहमति दी गई तथा अगली बैठक में निर्णय लिये जाने पर विचार किया गया था। पुनः दिनांक 01.05.2017 को समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय अनुसार इन्डैक्स दर के आधार पर निर्धारित योजना दर निम्नवत् प्रस्तावित हुई।

उपरोक्त के अतिरिक्त रामगंगा विहार, आशियाना, विकास मंजिल एवं नवीन नगर के हॉलो की कीमत अधिक होने के कारण विक्रय नहीं हो पा रही है। अतः बोर्ड बैठक में फ्रीज किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था। जिसमें माननीय बोर्ड द्वारा उसी दर पर पुनः विक्रय के प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में इन सम्पत्तियों के मूल्य पूर्ववत् रखे जाने पर एवं इसी दर पर विक्रय किये जाने में सहमति हुई। शासनादेश के अनुसार व्यवसायिक सम्पत्तियों का न्यूनतम आरक्षित दर पूर्ववत् योजना दर का दो गुना तथा ग्रुप हाऊसिंग भूखण्डों का न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्रशासनिक निर्णय अनुसार योजना दर का डेढ़ गुना लागू होगा। जिसका अनुमोदन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 01.05.2017 को किया गया।

उपरोक्त योजना की दरें एक मई, 2017 से प्रभावी होंगी।

क्र० सं०	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 योजना की स्वीकृति दर (प्रति व०मी०)	योजना दर में 15-16% वृद्धोत्तरी	योग (3+4)	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित दर (प्रति व०मी०)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आशियाना (क) प्रथम (ख) द्वितीय	14800	2220	17020	23000	18500
		14800	2220	17020	22000	18000
2.	(क) प्रथम रामगंगा विहार (ख) द्वितीय (ग) विस्तार	18500	2775	21275	25000	21500
		18000	2700	20700	25000	21000
		18000	2700	20700	23000	21000
3.	दीनदयाल नगर (क) प्रथम (ख) द्वितीय	19500	2925	22425	29000	22500
		19500	2925	22425	29000	22500
4.	नवीन नगर	20500	3075	23575	23000	24000
5.	अचान्तिका	17000	2550	19550	22000	20000
6.	मधुवनी	22500	3375	25875	29500	26000
7.	देव विहार	22000	3300	25300	28000	26000
8.	हिमगिरी	9500	1425	10925	13000	11000
9.	कबीर नगर	6500	975	7475	8200	7500
10.	एकता विहार - उत्तरी एवं दक्षिणी	8000	1200	9200	14500	9500
11.	आजाद नगर	10000	1500	11500	15500	12000
12.	गजरोला	8000	1200	9200	12000	10000
13.	मानसरोवर	23000	3450	26450	38500	27000
14.	ट्रान्सपोर्ट नगर	10000	1500	11500	26000	12000
		यातयात परिवहन तथा अन्य सुविधाओं हेतु				यातयात परिवहन तथा अन्य सुविधाओं हेतु
15.	नया मुरादाबाद	9500	1425	10925	12000	11000
16.	मा० काशीराम जी नगर	10500	1575	12075	14000	12500
17.	सीतापुरी दस सराय	7500	1125	8625	12000	8600
18.	मऊ योजना	9000	1350	10350	14000	10500
19.	मझोला योजना (गाटा सं०-750)	6000	900	6900	8500	7000
20.	सोनकपुर योजना	14500	-	-	13000	14500

पत्राक:-362 (11/11) मु०वि०प्रा० / सम०अनु० / 17  
प्रतिलिपि:-

- उपाध्यक्ष मु०वि०प्रा० को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- सचिव मु०वि०प्रा० को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- मुख्य लेखाधिकारी, मु०वि०प्रा० को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- मुख्य नगर नियोजक, मु०वि०प्रा० को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- मुख्य अभियन्ता, मु०वि०प्रा० को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- अधिशासी अभियन्ता-प्रथम एवं अधिशासी अभियन्ता - विद्युत मु०वि०प्रा० को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सम्बन्धित सम्पत्ति सहायक को अनुपालनार्थ हेतु।
- कार्यालय अधीक्षक को गार्ड फाईल हेतु।

दिनांक:- 3/मई/2017

संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद